तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मोहनी वगै. बनाम रामूराम वगै.	
10-11-25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गइ। अभिभाषक अपीलांट ने अपील के अभिकथनो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान नक्शा व पूर्व नक्शा में परिवर्तन होने से अपीलाण्टान ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष पेश किया तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने दिनांक 06.06.2022 को उभय पक्ष की बहस सुन कर अपीलाण्टान का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को कन्फर्म कर दिया। आदेश दिनांक 06.06.2022 के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 21.06. 2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष रिव्यू पेश किया। उक्त रिव्यू दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 21.06. 2022 को विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने दिनांक 30.06. 2022 को बिना नोटिस जारी किये ही उभय पक्ष को उपस्थित बता कर, उभय पक्ष की बहस समायत बता कर उक्त रिव्यू प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर उसी दिन पूर्व आदेश दिनांक 06.06. 2022 को निरस्त कर दिया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये दिनांक 30.06.2022 को रिव्यू प्रार्थनापत्र स्वीकार कर पूर्व आदेश दिनांक 06.06.2022 को निरस्त कर कानूनी भूल की है जिससे आदेश दिनांक 30. 06.2022 कानून एंव विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने अपीलाण्टान के नाम कभी भी रिव्यू प्रार्थनापत्र में नोटिस जारी नहीं किये, अपीलाण्टान अथवा उनका अधिवक्ता रिव्यू प्रार्थनापत्र	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में उपस्थित नहीं हुवे। अपीलाण्टान अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा रिव्यू प्रार्थनापत्र में कोई बहस नहीं की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से पूर्व अपीलाण्टान को सबूत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। रिव्यू का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। पूर्व पारित निर्णय में स्पष्ट तोर पर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है फिर भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा रिव्यू स्वीकार कर कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–06–2022 निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–06–2022 द्वारा अपने द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 6–6–2022 को रिव्यु करके निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है। अपील के निर्णय के लिए रिव्यु के प्रावधान पर गौर करना उचित होगा।

आदेश 47 नियम 1 के अनुसार Application for review of judgment.—

(1) Any person considering himself aggrieved— (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred, (b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or (c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the **discovery of new and important matter or evidence** which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake **or error apparent on the face of the record** or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

the Court which passed the decree or made the order.

रिव्यु के प्रावधानो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि न्यायालय रिव्यु के प्रावधान के तहत किसी आदेश को यथावत रख सकता है, संशोधित कर सकता है अथवा उल्ट भी सकता है। यघपि रिव्यु का स्कॉप अन्तयन्त लिमिटेड होता है इसमें ऐरर अपेरेन्ट ऑन पेस ऑफ रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखा जाता है। जहॉ तक अपीलांट का यह ऐतराज है कि उसे अपीलांधीन आदेश उसे बिना सुने पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि *अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रामचन्द्र सिंह भाटी उपस्थित आए। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही करना चाहा जिस पर दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।* इससे यह प्रकट होता है कि अभिभाषक अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्टतः उल्लेखित किया है कि प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय को मुगालते में रखकर आदेश दिनांक 26–6–2020 व 6–6–2022 यह पारित करवाया गया है। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा निरस्त किया जाता है।

अगर कोई पक्षकार गलत तथ्य प्रस्तुत कर अथवा फ्रोड के जरिये न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त कर लेता है तो न्यायालय इस आदेश को स्वतः ही रिव्यु कर सकता है। इसके लिए किसी प्रार्थना पत्र की भी आवश्यकता नही है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 6–6–2022 को निरस्त करने में कोई त्रुटि कारित नही की है। अंतः अपीलधधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर